

न्यायालय श्री मान राज्य मँडल ज्वालियर सर्किट कोट रोवा, जिला - रोवा

रेस्ट्र 5267-II/16

म०प०



(16)

आवेदक

सुधायाल संघी निवासी रुपा रहुदी देवी

लक्ष्मी बेंगलुरु रोवा के निवासी हैं।

बनाम

अन्तर्गत

निगरानी प्रकरण 2259/लिंगा

12-13

आवेदन पत्र वाचत पुनर्स्थापित

किये जाने निगरानी प्रकरण ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3<sup>३</sup> मध्ये

भूरात०प० । १९५९ ई०।

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-

1- यह कि उपरोक्त उन्वान का निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा है जिसमें तारीख पेशी दिनांक १५-६-२०१६ अंतिम तर्क हेतु नियत थी

2- यह कि उक्त निगरानी प्रकरण में आवेदक / निगरानी कर्ता के अधिक महोदय पेशी में उपस्थित होते थे, एवं उन्हीं के द्वारा प्रकरण की पैरवी की जाती रही है।


3- यह कि उक्त निगरानी प्रकरण अंतिम तक हेतु नियत १५-६-१६ के निय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ  
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो..5267-दो/2016

जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश सूर्योपाल विलद्ध गोमती	पक्षकर्ते एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५-11-2016	<p>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एस0एन0 मिश्रा उपस्थित। उन्हें प्रकरण में कायमी के बिन्दु पर सुना गया।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि दिनांक 14.6.16 को प्रकरण क्रमांक निग0-2259 / 12-13 अंतिम तर्क हेतु नियत था तथा इस नियत दिनांक को आवेदक के अधिवक्ता को बुखार आ जाने से अस्वस्थता के कारण वे नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके थे। प्रकरण को पुनः स्थापित कर सुनवाई में लिए जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>विचारोपरांत यह रेस्टो० आवेदन स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण क्रमांक 2259 / निग0 / 12-13 को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। मूल प्रकरण में पशी नियत की जाकर पक्षकारण को सूचना दी जावे।</p> <p>उपरोक्त निर्देशों के साथ यह पुनर्स्थापन आवेदन समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।</p>   <p>सदस्य</p>	